

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जब्बा दीवानी)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस) सहायक कलक्टर, कोटपूतली

1. औमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
1/1 गंगा देवी पत्नी स्व. औमप्रकाश
1/2 अनिल चौहान पुत्र स्व. औमप्रकाश
1/3 नरेश कुमार चौहान पुत्र स्व. औमप्रकाश
1/4 विक्रम चौहान पुत्र स्व. औमप्रकाश
1/5 आशा चौहान पुत्री स्व. औमप्रकाश
2. विधा
3. शारदा
4. सरोज पुत्रियान रामचन्द्र
5. विशाल पुत्र मनोहर पोत्र रामचन्द्र
6. बरफाई पत्नि मनोहर पुत्र वधु रामचन्द्र
समस्त जाजि खटीक निवासी मौहल्ला बुचाहेड़ा कस्बा कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान
—वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर भू-मालिक तहसील कोटपूतली (जयपुर)
—प्रतिवादी

दावा विनिमय एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद पत्र संख्या - 02/2022

यह मुकदमा आज बारते इनफिसाल कतई रूबरू व हाजरी वकील वादी व वादीगण स्वयं भिनजानिव मुद्दई रूबरू की अनुपरिस्थिति में पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण मृतक रामचन्द्र पुत्र चुन्नाराम के जीवित/मौजूद जायज वारिसान है और उसकी खातेदारी कृषि भूमि में विरासत अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.79 हैक्टेयर, 1914 रकबा 3.14 हैक्टेयर वाके मौजा बुचाहेड़ा में रामचन्द्र पुत्र चुन्नाराम के फुट स्टेप पर उसके हिस्से 1/5 में रामचन्द्र पुत्र चुन्ना राम की जगह वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, कोटपूतली को निर्देशित किया जाता है कि वे वादीगण को हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस

मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज तारीख से

तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख मजमेआम को जारी की

गई।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

रूपये	पैसे	मुद्रायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अर्जी		स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील		महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर		
वाबत इजराय		वाबत इजराय		
हुक्मनामा		हुक्मनामा		
मुतफरिक		मुतफरिक		
मीजाल		मीजाल		

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो य
 नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
 कोटपूतली (जयपुर)